भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप खण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

उद्योग भवन

<u>अधिसूचना सं0 3 (आर ई-2012)/2009-2014</u>

नई दिल्ली, दिनांक 29 जून, 2012

विषयः- प्याज की निर्यात नीति।

सां.आ.(अ) विदेश व्यापार नीति, 2009-2014 के पैरा 2.1 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा, अधिसूचना सं.116 (आरई-2010)/ 2009-14 दिनांक 08.05.2012 के पैरा 2 को तत्काल प्रभाव से, संशोधित करती है।

2. अधिसूचना सं.116 दिनांक 08.05.2012 के संशोधित पैरा 2 को अब निम्नानुसार पढ़ा जाएगाः

" अगले आदेशों तक प्याज का निर्यात बिना किसी न्यूनतम निर्यात मूल्य के अनुमत है।"

3. प्याज के निर्यात के लिए नामित 13 राज्य व्यापार उद्यमों में से प्रत्येक उद्यम विदेश व्यापार महानिदेशालय को ई-मेल onionexport-dgft@nic.in पर उनके द्वारा पंजीकृत मात्रा के बारे में **<u>प्रतिदिन</u>** सूचित करेगा।

4. इस अधिसूचना का प्रभावः

प्याज का निर्यात बिना किसी न्यूनतम निर्यात मूल्य के अनुमत होगा।

ह0/-
(अनुप के0 पूजारी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ई मेल:- dgft@nic.in

(फा0सं0 01/91/180/922/एएम'08/पीसी-III/एक्सपोर्ट सेल से जारी)